महाविद्यालय कोड नं. 2313 स्थापना वर्ष – 2011

शासकीय महाविद्यालय

राऊ, जिला–इन्दौर (म.प्र.)

"उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता और गुणवत्ता
के लिए कृत संकल्पित"

अप्प दिपो भव

विवरणिका

प्रवेश आवेदन-पत्र सहित

सत्र 2014–15

प्रकाशक

प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय

रंगवासा रोड़, राऊ, जिला इन्दौर (म.प्र.)

मूल्य ₹ 100/-

शासकीय महाविद्यालय

राऊ, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

महाविद्यालय - एक परिचय

शासकीय महाविद्यालय, राऊ की मांग क्षेत्र के यशस्वी व युवा विधायक एवं म.प्र. भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू जी जिराती द्वारा की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन श्री शिवराज सिंह जी चौहान द्वारा महाविद्यालय प्रारम्भ करने की घोषणा सहकारी शीतगृह, राऊ पर 28 मार्च 2010 को की गई थी। इसी तारतम्य में म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा 25 मार्च 2011 को महाविद्यालय प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की गई तथा प्राचार्य, प्राध्यापकों एवं कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए गए।

राऊ, इन्दौर नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर आगरा-मुम्बई मार्ग पर महू की ओर स्थित है। महाविद्यालय प्रारम्भ होने से राऊ नगर पंचायत की लगभग 38,000 जनसंख्या के साथ ही रंगवासा, बिजलपुर, राजेन्द्र नगर, सुख निवास (केट), अहीरखेड़ी के आसपास के अन्य सभी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इससे विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की छात्राएँ जिनका 12वीं के पश्चात् अध्यापन बंद हो जाता था, अब निरन्तर जारी रहेगा।

इस महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय के विषयों का अध्यापन कार्य करवाया जायेगा।

शासकीय महाविद्यालय

राऊ, जिला–इन्दौर (म.प्र.)

आचार-संहिता (आचरण-संहिता)

- विद्यार्थी-प्राचार्य, शिक्षकों, कर्मचारियों और अपने सहपाठियों से शालीन एवं विनम्र व्यवहार करेंगे।
- विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान महाविद्यालय द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत अपन विद्या अध्ययन में लगायेंगे, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित / अनुमोदित शैक्षणेत्तर कार्यक्रमों में पूर्ण सहयोग करेंगे।
- महाविद्यालय अर्थात् भवन, पुस्तकालय, छात्रावास आदि में शांति, सुरक्षा और स्वच्छता बनाये रखने में प्रत्येक विद्यार्थी रूचि लेंगे। महाविद्यालय की सम्पत्ति अर्थात् भवन, साज-सज्जा, विद्युत व्यवस्था, उपकरण आदि को किसी भी रूप में क्षति नहीं पहुंचायेंगे।
- विद्यार्थी अपनी कठिनाई के लिये आंदोलन या आतंक का मार्ग नहीं अपनायेंगे।
- महाविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधियां संचालित करना वर्जित है।
- विद्यार्थी को यदि कठिनाई हो तो वे प्राध्यापकों अथवा अति आवश्यक होने पर प्राचार्य के समक्ष पूर्ण अनुशासन से शांतिपूर्वक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ/शिकायत पेटी के माध्यम से अपनी समस्या महाविद्यालय प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षक-अभिभावक से संपर्क करें किन्तु बाहरी तत्वों, समाचार पत्रों को माध्यम न बनायें।
- विद्यार्थी को यह सावधानी रखनी होगी की किसी अनैतिक या गंभीर अपराध का अभियोग उन पर न लगे परन्तु यदि ऐसा हुआ तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या करने का प्रयास करना या सहायक होना दुराचरण माना जायेगा एवं उनके विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- महाविद्यालय सीमा में धूम्रपान एवं किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित है।

महत्वपूर्ण (विशेष) : उपस्थिति :

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत उपस्थित आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जायेगा। उपस्थिति पूरी न होने पर परीक्षा में नियमित विद्यार्थी के रूप में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।

रैगिंग :

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27-11-06 संदर्भ एस.एल.पी. 2495/06 केरल विश्वविद्यालय विरुद्ध महाविद्यालय प्राचार्यों की परिषद तथा एस.एल.पी. क्रं. 24296-24299/2004, डब्ल्यू.पी. (सी.आर.सी.) नं. 173/2006 तथा एस.एल.पी. क्रं. 14356/2005 के अनुसार रैगिंग एक दण्डनीय अपराध है। महाविद्यालय या छात्रावास परिसर में या अन्यत्र कहीं भी रैगिंग लेना पूरी तरह प्रतिबंधित हैं। रैगिंग के लिये दोषी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निष्काषित किया जाकर उसके विरुद्ध कठोर निषेधात्मक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। समस्त विद्यार्थी इसका ध्यान रखें।

दण्ड :

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रं. 7 की धारा 13 के अनुसार महाविद्यालय परिसर या बाहर अनुशासन भंग किये जाने पर दोषी विद्यार्थी के विरुद्ध निम्नानुसार दण्ड का प्रावधान है:-

1. कक्षाओं से निलम्बन
2. महाविद्यालय से निष्कासन
3. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

आवश्यक सूचनायें :

- महाविद्यालय में स्नातक कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति से अध्यापन एवं परीक्षा कार्य होगा।
- आवेदक एवं उनके अभिभावक से अपेक्षा है कि विवरणिका को पूर्णतः पढ़ लें। विद्यार्थी अपना प्रवेश आवेदन फार्म स्वयं भरें एवं महाविद्यालय में स्वयं आकर जमा करें।
- विद्यार्थी अपना प्रवेश शुल्क स्वयं जमा कराये मूल प्रवेश रसीद प्राप्त करें। मूल रसीद सावधानीपूर्वक स्वयं के पास सुरक्षित रखें, आवश्यकतानुसार प्रस्तुत करें ।
- प्रवेश आवेदन फार्म के साथ अपनी अंकसूचियां एवं अन्य समस्त आवश्यक प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। प्रवेश के समय मूल अंकसूचियों तथा प्रमाण-पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें। आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये गये प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्रवेश अधिभार प्रदान किया जावेगा।
- महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी एवं अन्य समस्त नियम एवं सूचनाएं समय-समय पर सूचना पटल पर चस्पा की जाएगी। विद्यार्थी नियमित रूप से अवलोकन करें । सूचना प्राप्त करने के लिये वे स्वयं जिम्मेदार होंगे । **प्रवेश की शासन द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें।**
- आवेदन की समस्त पूर्तियां की जाना अनिवार्य है। अपूर्ण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी प्रवेश आवेदन फार्म के साथ के स्वयं अपना पता लिखकर तीन पोस्टकार्ड आवश्यक रूप से संलग्न करें।
- परीक्षा परिणाम अघोषित होने की स्थिति में भी प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा । निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश किसी भी दशा में संभव नहीं होगा ।
- जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर गलत जानकारी देने पर अथवा जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों पर एवं प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- प्रवेश लेकर बिना किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना कक्षा में लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।
- प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने, उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को सुरक्षा निधि (कॉशन मनी) के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। तकनीकी/व्यावसायिक पाठयक्रम में प्रवेश हो जाने पर विद्यार्थी को मात्र रु. 100/- प्रक्रिया शुल्क काटकर उसके द्वारा जमा की गई सम्पूर्ण शुल्क की राशि वापिस की जायेगी ।
- महाविद्यालय में / कक्षा में मोबाइल फोन का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रयोग करने पर मोबाइल फोन जब्त कर लिया जायेगा और आर्थिक दण्ड (जुर्माना) के लिये प्राचार्य अधिकृत है। इसकी पुनरावृत्ति होने पर दण्ड राशि उत्तरोत्तर बढ़ा दी जायेगी और मोबाइल फोन जप्त कर लिया जायेगा।
- **कक्षाओं में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति आवश्यक है।**
- रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी के विरुद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही, महाविद्यालय और छात्रावास से निष्कासन, छात्रवृत्ति तथा अन्य प्रदत्त लाभ वापस लेने की कार्यवाही के अलावा अर्थ दण्ड और सार्वजनिक क्षमायाचना का भी प्रावधान रहेगा।

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर कला, वाणिज्य तथा विज्ञान संकाय में अध्यापन की व्यवस्था है ।

कला संकाय

प्रथम वर्ष, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

स्नातक उपाधि : **(A) बी.ए. (प्लेन)**

(B) बी.ए. (कम्प्युटर) स्ववित्त

अनिवार्य प्रश्न-पत्र – आधार पाठ्यक्रम

ऐच्छिक विषय– (कोई तीन) 1. अर्थशास्त्र 2. राजनीति शास्त्र 3. समाजशास्त्र / अंग्रेजी साहित्य 4. हिन्दी साहित्य 5. , कम्प्युटर एप्लीकेशन

वाणिज्य संकाय

प्रथम वर्ष, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

स्नातक उपाधि : **(A) बी.कॉम. (प्लेन)**

(B) बी.कॉम. (कम्प्युटर) स्ववित्त

(C) बी.कॉम. (टैक्स प्रोसिजर) स्ववित्त

अनिवार्य प्रश्न-पत्र

1. आधार पाठ्यक्रम 2. प्रबन्ध समूह 3. लेखा समूह

ऐच्छिक : अर्थशास्त्र समूह– ✻ अर्थशास्त्र ✻ कर प्रक्रिया (स्ववित्त) ✻ कम्प्युटर एप्लिकेशन (स्ववित्त) – तीनों में से कोई एक

विज्ञान संकाय

प्रथम एवं द्वितीय वर्ष

स्नातक उपाधि : **(A) बी.एस.सी. (बायो समूह)**

(B) बी.एस.सी. (गणित समूह)

(C) बी.एस.सी. (कम्प्युटर) स्ववित्त

बायो समूह में विषय – 1. आधार पाठ्यक्रम 2. प्राणीशास्त्र 3. वनस्पति शास्त्र 4. रसायन शास्त्र

गणित समूह में विषय – 1. आधार पाठ्यक्रम 2. भौतिक शास्त्र 3. गणित 4. रसायन शास्त्र

कम्प्युटर समूह में विषय – 1. आधार पाठ्यक्रम 2. भौतिक शास्त्र 3. गणित 4. कम्प्युटर साईंस

प्रवेश संबंधी नियम :

(A) महाविद्यालय में प्रवेश, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धान्त / नियम 2014-15 के अन्तर्गत गुणानुक्रम एवं स्थान की उपलब्धता के आधार पर दिये जावेंगे।

(B) आरक्षण संबंधी नियम :- म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी प्रवेश के मार्गदर्शी सिद्धान्त नियम 2014-15 में वर्णित आरक्षण नीति एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुरूप, प्रवेश हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदत्त की जावेगी। समय-समय पर शासन द्वारा प्रसारित आरक्षण संबंधी प्रावधान भी शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रभावशील रहेंगे।

(C) अधिभार संबंधी नियम -

- अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा।
- अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन पत्र जमा करने के बाद प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्रों पर अधिभार देय नहीं होगा।
- एक से अधिक अधिभार की पात्रता की स्थिति में केवल सर्वाधिक, एक अधिभार ही देय होगा।
- एन.सी.सी./एन.एस.एस./खेलकूद में विशिष्ट प्रावीण्यता के लिये निश्चित अधिभार देय होगा जो विद्यार्थी की उपलब्धि के अनुपात में शासन द्वारा प्रवेश के मार्गदर्शी नियमों 2014-15 के आधार पर होगा।
- स्नातक प्रथम सेमेस्टर मैं अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय/ ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार की पात्रता होने पर घटे हुए प्राप्तांकों पर ही अधिभार देय होगा।

(D) अन्य नियम :

समस्त प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश ऑनलाईन प्रक्रिया उच्च शिक्षा विभाग नियमानुसार होगा।

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष-

- सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।
- प्रवेश हेतु समिति द्वारा अनुशंसित विद्यार्थियों की सूची, महाविद्यालय के सूचना पटल पर चस्पा की जायेगी। इसके लिये विद्यार्थियों को नियमित रूप से सूचना पटल देखना होगा।
- विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये कक्षावार अंतिम तिथि की सूचना, महाविद्यालय के सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जावेगी।
- विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के प्राचार्य द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र / प्राविधिक प्रमाण पत्र के आधार पर बिना अंकसूची के आवेदन जमा किये जावेंगे। इंटरनेट से डाउनलोड कर प्राप्त अंकसूची की प्रति को भी मान्य किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक परीक्षा परिणाम अघोषित होने की स्थिति में भी प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा । उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश नियमित किया जायेगा एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त किया जावेगा ।

(E) प्रवेश सूची का प्रकाशन :

बी.ए., बी.कॉम एवं बी.एस.सी. प्रथम सेमेस्टर में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन सूची अनुसार आवंटित सूची।

द्वितीय एवं तृतीय वर्ष-

- प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु अनुशंसित विद्यार्थियों को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय हैं, वहां अधिभार देने के बाद कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत और अंकों के विवरण के साथ, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष आवेदन पत्र के साथ लगाई गई अंकसूचियों, प्रमाण पत्र की छायाप्रति को सत्यापित करने के लिये मूल अंकसूची तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश वैध एवं मान्य होगा।
- घोषित प्रवेश सूची के विद्यार्थियों को शुल्क जमा करने के लिये निर्धारित अंतिम तिथि व्यतीत हो जाने के बाद केवल स्थान रिक्त होने की दशा में ही विलम्ब शुल्क रु. 100/- के साथ प्रवेश दिया जा सकेगा। शासन द्वारा आदेशित तिथि के पश्चात् प्रवेश की अनुमति कतई नहीं दी जावेगी।

(F) प्रवेश के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र

महाविद्यालय में प्रथम बार प्रवेश ले रहे, विद्यार्थी अपने प्रवेश आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करें :-

1. स्थानांतरण प्रमाण (टी.सी.) की सत्यापित प्रति (प्रवेश मिलने पर मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र टी.सी. जमा करना होगा)।
2. विगत परीक्षा की सत्यापित अंकसूची
3. मूल निवासी प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति
4. चरित्र प्रमाणपत्र
5. जाति-प्रमाणपत्र (अनु. जाति/अनु. जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों द्वारा
6. विकलांग/निःशक्तजन तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का सक्षम अधिकारी का प्रमाणपत्र।
7. अध्ययन क्रम में अंतराल होने पर प्रमाणपत्र, गैप सर्टिफिकेट, नोटरी द्वारा शपथपत्र के रुप में प्रस्तुत करना होगा।
8. रक्त समूह प्रमाणपत्र
9. आव्रजन/प्रवजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) - (यदि आवेदन सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम/म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल या म.प्र. के विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य किसी मंडल या विश्वविद्यालय का हो)
10. जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु 10वीं कक्षा की सत्यापित अंकसूची
11. यदि स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश लेना हो तो माता/पिता/पालक का कार्यालय में पदस्थ का प्रमाणपत्र तथा स्थानांतरण आदेश की छायाप्रति (केवल शासकीय, अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों हेतु)
12. छात्रवृत्ति हेतु बैंक का A/c No. तथा पास-बुक फोटो कॉपी / IFSC कोड।
13. वोटर आई.डी. कार्ड की छाया प्रति (यदि हो तो) नहीं हो तो उल्लेख करें।
14. आधार कार्ड।

परिचय पत्र

परिचय पत्र, प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जावेगा। प्रत्येक विद्यार्थी के लिये पासपोर्ट आकार का फोटो लगा परिचय पत्र बनवाना एवं महाविद्यालय में प्रतिदिन लाना अनिवार्य है। परिचय पत्र के अभाव में- पुस्तकालय से पुस्तकें, स्थानांतरण प्रमाणपत्र, कॉशन मनी नहीं मिलेगी। महाविद्यालय के कार्यक्रमों में परिचय पत्र के बिना प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। इसके खो जाने पर इसकी सूचना तुरंत महाविद्यालय एवं पुलिस थाने को देनी चाहिये। पुलिस थाने में की गई रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करने पर ही सशुल्क डुप्लीकेट परिचय पत्र बनाया जायेगा।

छात्रवृत्तियाँ

छात्रवृत्तियाँ/शासकीय योजनाएं – महाविद्यालय में भारत सरकार द्वारा देय एवं म.प्र. शासन द्वारा देय एकीकृत छात्रवृत्तियों एवं शिष्य वृत्तियों को नियमानुसार देने की व्यवस्था है जिसकी सूचना महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर सूचना पटल पर लगाई जाती है । पात्र विद्यार्थी अपना आवदेन आयुक्त उच्च शिक्षा की और प्राचार्य के माध्यम से भेजें पिछले सत्र से कुछ छात्रवृत्तियों के लिये ऑन लाईन आवेदन की प्रकियां प्रारंभ की जा चुकी है ।

शैक्षणिक सत्र वर्ष 2011-12 के लिये निम्नानुसार छात्रवृत्तियों हेतु अर्हता प्राप्त छात्र/छात्राओं से निर्धारित प्रपत्र में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

स.क्र.	छात्रवृत्ति	विषय अथवा छात्र/छात्राएं	राशि प्रतिमाह छात्र/छात्राएं	निर्धारित अर्हता
1.	स्नातक योग्यता अ.पि.व.	कला वाणिज्य विज्ञान	शासकीय नियमानुसार देय।	शासकीय नियमानुसार।
2.	स्नातक योग्यता	कला वाणिज्य विज्ञान	शासकीय नियमानुसार देय।	शासकीय नियमानुसार।

आवास सहायता योजना–

महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को जो कि बाहर से आकर अध्ययन कर रहे हैं उन्हें शासन द्वारा नियमानुसार आवास सहायता राशि दी जाती है।

z

भाग - 1

(1) अनुसूचित जाति को पो.मे.छात्रवृत्ति
(2) अनुसूचित जनजाति को पो.मे.छात्रवृत्ति
(3) पिछड़ा वर्ग को पो.मे.छात्रवृत्ति

} शासन द्वारा घोषित नियमों के अंतर्गत आवेदन पत्र कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । आवेदन पत्र समय सीमा में प्रस्तुत करें। नियम सूचना पटल पर देखें।

भाग - 2

(1) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा प्रावीण्य छात्रवृत्ति
(2) निःशक्त/विकलांग छात्रवृत्ति (देवी अहिल्या विश्व विद्यालय द्वारा)
(3) देवी अहिल्या विश्व विद्यालय द्वारा दी जाने वाली अन्य छात्रवृत्ति

} विश्वविद्यालय द्वारा घोषित नियमों के अनुसार

भाग - 3

(1) निःशक्त/विकलांग छात्रवृत्ति समाज कल्याण पंचायत कार्यालय द्वारा प्रदत्त

भाग - 4 बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति

भाग - 5 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति

} शासन द्वारा घोषित नियमों के अंतर्गत

टिप्पणी :- छात्रवृत्ति के समस्त आवेदन Online के माध्यम से भरे जाएंगे जिसकी एक प्रति छात्र महाविद्यालय के छात्रवृत्ति विभाग में जमा करेगा।

निम्न वेबसाइट के माध्यम से **online** भरे जाएंगे ।

www.scholarshipportal.mp.nic.in

- प्राय: सभी प्रकार के छात्रवृत्ति प्रपत्र कार्यालय में उपलब्ध हैं। निर्धारित तिथियों तक समस्त पूर्तियाँ कर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र जमा कर तथा सम्बन्धित रजिस्टर में मय तारीख हस्ताक्षर अवश्य करें। विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त विभिन्न छात्रवृत्तियों के संबंध में कार्यालय से संपर्क करें।
- विकलांग छात्रा सहायता कोष :- विश्वविद्यालय स्तर पर केन्द्रीय शासन द्वारा निर्धारित परिभाषा की परिधि में मान्य विकलांग नियमित छात्र को विश्वविद्यालय से प्रतिवर्ष सहायता राशि स्वीकृत की जाती है। इसके लिये निर्धारित आवेदन-पत्र सम्पूर्ण विवरण संहित दिनांक 30 अगस्त तक संकायाध्यक्ष, विद्यार्थी कल्याण वि.वि. को प्रस्तुत किया जा सकता है।

म.प्र. राज्य शासन, भोपाल

द्वारा

गाँव की बेटी योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति

राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष गाँव की बेटी योजनान्तर्गत ऐसी छात्राओं को रु. 500/- प्रतिमाह के मान से 10 माह हेतु रु. 5000/- की छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी जो गांव में रहकर ग्राम अथवा नगर पंचायत की शाला से एवं नवोदय विद्यालय से कक्षा 12वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो। अतः ग्राम/नगर पंचायत की पाठशाला से कक्षा 12वीं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण, इस महाविद्यालय में नियमित प्रवेश प्राप्त छात्राएँ छात्रवृत्ति आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करें। अन्यथा छात्रा का नाम उच्च शिक्षा विभाग को भेजना संभव नहीं होगा।

1. कक्षा 12वीं की सत्यापित अंक सूची (दो प्रतियाँ)
2. सरपंच द्वारा प्रदत्त मूल निवासी का प्रमाण-पत्र
3. गाँव की बेटी का प्रमाण-पत्र (मुख्य कार्यपालन अधिकारी ग्राम/जनपद/जिला पंचायत द्वारा जारी)।

म.प्र. राज्य शासन भोपाल द्वारा
प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना

मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली मेघावी छात्राओं को नियमित अध्ययन करने पर उच्च शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के लिये ''प्रतिभा किरण छात्रवृत्ति योजना - 2008'' से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रारंभ की गई है।

इस हेतु निम्न अर्हताएं आवश्यक हैं:-

1. छात्रा म.प्र. की मूल निवासी होना चाहिये।
2. गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बालिका जिसने नगरीय क्षेत्र से 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो।
3. छात्रा जिस सत्र में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करती है, उसी सत्र में उसे प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश लेने पर योजना का लाभ मिलेगा।
4. संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात अध्ययन निरंतर रखना होगा। व्यवधान की स्थिति में पात्रता समाप्त हो जायेगी।
5. शासन द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्तियों में **एक समय में एक ही छात्रवृत्ति का लाभ छात्रा को प्राप्त हो सकेगा। विकलांग छात्रवृत्ति एवं छात्रावास में प्रथम प्रवेश के छात्रवृत्ति अतिरिक्त ली जा सकती है।** छात्रवृत्ति हेतु पात्र छात्राएं आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत करें:-

   (1) गरीबी रेखा के नीचे का प्रमाण-पत्र (BPL कार्ड) नगर निगम या नगरीय निकाय का प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

   (2) छात्रा की 12वीं में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अंकसूची.

   (3) शहर के मूल निवासी प्रमाण-पत्र

   (4) आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर सभी अनिवार्य अभिलेख के साथ आवेदक छात्रा को, छात्रवृत्ति प्रभारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

   योजना अंतर्गत पूर्ण अर्हताधारी आवेदक छात्रा को शैक्षणिक सत्र के 10 माह हेतु राशि रुपये 5,000/- (पाँच हजार रुपये) छात्रवृत्ति प्रदाय की जायेगी।

2. **विक्रमादित्य योजना** - इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले (42000/-रुपये वार्षिक से कम आय वाले) परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में शुल्क से छूट देने का प्रावधान रखा गया है। आवेदन प्राप्त होने पर शासन द्वारा शुल्क की राशि प्रदान की जाती है। छात्रा ने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की हो एवं प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश लिया हो।

3. **छात्राओं हेतु आवगमन सुविधा**- महाविद्यालय से 05 कि.मी. से अधिक की दूरी पर निवास करने वाली छात्राओं को अधिकतम 200 शैक्षणिक दिवस के लिये आवगमन हेतु 5/- रु. प्रतिदिन की दर से भुगतान किया जाता है । शासन से राशि प्राप्त होने पर इसका भुगतान किया जाता है ।

शासकीय योजनाएँ :-

- **जनभागीदारी समिति :**

शासन के निर्देशानुसार जनभागीदारी समिति का गठन किया जावेगा।

- **शिक्षक-अभिभावक योजना :**

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं बेहतर शैक्षणिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षक-अभिभावक योजना संचालित है। विद्यार्थी महाविद्यालय में आने वाली अपनी किसी भी समस्या का निदान शिक्षक-अभिभावक के माध्यम से कर सकते हैं। समय-समय पर बैठक आयोजित कर, शिक्षक अभिभावक विद्यार्थियों की प्रगति एवं अन्य गतिविधियों की जानकारी अभिभावक को दी जाती है। महाविद्यालय में एक पृथक परामर्श प्रकोष्ठ की भी स्थापना की जा रही है ।

- **विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना -**

महाविद्यालय विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के साथ योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप उपयुक्त कैरियर मार्गदर्शन देने के लिये मध्यप्रदेश शासन के उच्च विभाग ने स्वामी विवेकानन्द कैरियर मार्गदर्शन योजना लागू की है। योजना का मुख्य लक्ष्य विद्यार्थियों को कैरियर के अवसर एवं संभावनाओं से परिचित कराते हुए कॅरियर के लिये मार्गदर्शन देना है। महाविद्यालय में योजनांतर्गत विद्यार्थियों के कॅरियर मार्गदर्शन हेतु कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है।

- **बुक बैंक योजना -**

महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बुक बैंक योजनान्तर्गत पाठ्य पुस्तकें एवं स्टेशनरी निःशुल्क प्रदाय की जाती है।

- **सिटीजन चार्टर एवं सूचना का अधिकार :**

शासन के निर्देशानुसार, प्रशासन में पारदर्शिता व्यक्त करने के उद्देश्य से महाविद्यालय में लगे बड़े-बड़े बोर्डों पर जानकारियाँ अंकित कर दी गई है। विद्यार्थी बोर्ड पर उल्लेखित जानकारियों के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान कर, संबंधित सत्य प्रतिलिपियॉ प्राप्त कर सकते हैं।

- **महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ :**

किसी भी प्रकार से पीड़ित होने पर यह प्रकोष्ठ छात्राओं की समस्याओं का निदान करती है। इसकी जानकारी भी महाविद्यालय में लगे बोर्ड पर अंकित की गई है। महाविद्यालय में इसके लिये एक शिकायत पेटी भी लगी हुई है।

- **पुस्तकालय एवं वाचनालय :**
  - यह सुविधा महाविद्यालय में उपलब्ध है ।
  - आरक्षित संवर्ग के विद्यार्थियों के लिये पृथक से बुक बैंक की सुविधा है।
  - पुस्तकालय एवं वाचनालय संबंधी नियमावली का सूचना बोर्ड पुस्तकालय में प्रदर्शित की जाती है ।

शैक्षणेतर सुविधाएँ :-

- **क्रीड़ा सुविधाएं -**

महाविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय स्तर एवं अंतर विश्वविद्यालयीन स्तर पर क्रीड़ा गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी की जावेगी।

- **राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) -**

"समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास" हेतु रा.से.यो. गतिविधियों के अंतर्गत समाज सेवा एवं नेतृत्व प्रशिक्षण के द्वारा बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने की योजना जारी है।

- **राष्ट्रीय केडेट कोर (N.C.C.) -**

एन.सी.सी. की इकाई इस महाविद्यालय में शीघ्र गठित की जावेगी ।

- **रेड रिबन क्लब -**

एच.आई.वी. / एड्स जनजागृति हेतु रेड रिबन क्लब की इकाई गठित की गई है।

- **अन्य सुविधाएं -**

कम्प्युटर लेब ।
शुद्ध पेय जल हेतु एक्वागार्ड युक्त वाटर कूलर ।
साफ एवं स्वच्छ पुरुष एवं महिला प्रसाधन ।

- **रैगिंग विरोधी समिति -**

महाविद्यालय प्रशासन रैगिंग के प्रति अत्यन्त सख्त है। महाविद्यालय परिसर में रैगिंग के विरुद्ध सभी सचेत हैं। रैगिंग लेना दण्डनीय अपराध है। अतः रैगिंग लेना, उसमें सहयोग करना या रैगिंग के विरुद्ध आवाज़ न उठाना भी अपराध की श्रेणी में आता है। रैगिंग के प्रति पूर्ण सतर्कता एवं नियन्त्रण रखने हेतु महाविद्यालय में **"एन्टी रैगिंग समिति"** गठित की गई है। विद्यार्थी रैगिंग के विरुद्ध समिति के सदस्यों से सम्पर्क करें। रेगिंग के संबंध में आवेदन पत्र के साथ संलग्न शपथ-पत्र का जमा किया जाना अनिवार्य है ।

- **छात्रों के व्यक्तित्व एवं सामुदायिक विकास समितियाँ -**

महाविद्यालय में छात्राओं के कॅरियर मार्गदर्शन, व्यक्तित्व विकास एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी हेतु निम्नलिखित समितियां कार्यशील होगी ।

1. सांस्कृतिक /साहित्यिक समिति
2. समाज सेवा/समाज कार्य
3. क्रीड़ा समिति
4. व्यावसायिक पाठ्यक्रम/ कैरियर काउंसिलिंग

विशेष नोट :-

सत्र के दौरान देवी अहिल्या वि.वि. एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशानुसार अतिरिक्त फीस ली जा सकती है।

शुल्क जमा करने संबंधी विशेष सूचनाएँ -

(1) निर्धारित अवधि में तारीख एवं स्थान की सूचना देकर शुल्क जमा करना होगा ।

(2) जमा किये शुल्क की रसीद अवश्य प्राप्त करें व उसे जाँच लें । परिचय-पत्र पर शुल्क की राशि तथा रसीद नम्बर अवश्य लिखवा लें ।

(3) पूरे सत्र की शुल्क एक मुश्त जमा करना होगा ।

(4) शासन तथा विश्वविद्यालय के निर्देशों के अन्तर्गत शुल्क की राशि में परिवर्तन कभी भी किया जा सकेगा ।

(5) जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा ।

महाविद्यालय के विद्यार्थियों से आशा की जाती है कि वे पूर्ण शक्ति एवं निष्ठा से अध्ययन-रत रहेंगे तथा ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जिससे उनको, उनके माता-पिता को, महाविद्यालय को, राज्य को एवं राष्ट्र को अपमानित होना पड़े । उनका हर कृत्य ऐसा होना चाहिए जिस पर महाविद्यालय गर्व कर सके ।

राष्ट्रीय पर्वों जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस तथा पाठ्य सहभागी गतिविधियों में विद्यार्थी सक्रिय सहभागिता दें, इससे उनके व्यक्तित्व विकास को नई दिशा मिलेगी ।

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाणपत्र

1. अभ्यर्थी/छात्र का घोषणा पत्र मैं पुत्र/पुत्री...
   श्री/श्रीमती/सुश्री ....ने
   रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 कीएक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है ।
2. मैंने मुख्यरुप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है । और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने है ।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है । अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है ।
4. मैं निश्चत पूर्वक यह प्रयत्न करूंगा कि
   क) मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूंगा/लूँगी ।
   ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो ।
5. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूंगा/करूंगी ।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाई गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है ।
7. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता हे तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

हस्ताक्षर ....दिन...............महीना.............वर्ष ....

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

शपथ प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा सत्यापण के पश्चात पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है । शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को नही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है ।

सत्यापित ....स्थान..................दिन............महीना.............वर्ष...........

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए ।

शपथ आयुक्त

माता–पिता/अभिभावक का शपथ–पत्र

1. श्री/श्रीमती/सुश्री...(पिता–माता/अभिभावक का पूर्ण पता) माता/पिता/अभिभावक .... विद्यार्थी का पूर्ण पता प्रवेश/पंजीकरण/पंजीकरण संख्या) ....(संस्था का नाम).................. संस्था में प्रवेश लिया है । रैगिंग निषेध से सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग से सम्बन्धित विनियम–2009 में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है ।
2. मैंने मुख्यरुप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझ लिया है । और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने है ।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है । और मुझे पूरी तरह से जानकारी है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से अगर मेरा पुत्र/पुत्री रैगिंग के लिए दोषी पाया जाता है या किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता है या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता है तो प्रशासन मेरे पुत्र/पुत्री के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है ।
4. मै शपथपूर्वक निश्चय करता हूँ कि –
   क) मेरे पुत्र/पुत्री किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लेंगे।
   ख) मैं अपने पुत्र/पुत्री को किसी भी ऐसी गतिविधियों में भाग नहीं लेने दूँगा/दूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो ।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मेरे पुत्र/पुत्री रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाई गयी तो मेरे पुत्र/पुत्री को विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है । इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है ।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे मेरे पुत्र/पुत्री के विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और मेरे पुत्र/पुत्री को ऐसा मामले में पाया जाता हे तो मेरे पुत्र/पुत्री का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है ।

हस्ताक्षर ....दिन.........महीना.........वर्ष ....

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

नाम ....पता....................................दूरभाष नं. ....

<u>शपथ प्रमाणपत्र</u>

मेरे द्वारा सत्यापण के पश्चात पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई तथ्य गलत नहीं है । शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को नही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है ।

सत्यापित ....स्थान..............दिन.........महीना.........वर्ष...........

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए ।

स्थान..............दिन.........महीना.........वर्ष...........   शपथ आयुक्त

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय, राऊ

रंगवासा रोड़, इन्दौर (म.प्र.)
Phone : 0731-2857070, 2857066 ■ E-mail : principalrau@yahoo.com

महाविद्यालयीन परिवार

डॉ. सुरेश टी. सिलावट (प्राचार्य)

क्र.	नाम	पद
1.	डॉ. आभा जोशी	प्राध्यापक हिन्दी
2.	डॉ. आभा शुक्ला	प्राध्यापक अर्थशास्त्र
3.	श्रीमती सविता तनेजा	रीडर अर्थशास्त्र
4.	प्रो. अनिल कुमार जैन	सहा. प्राध्या. वाणिज्य
5.	प्रो. अनिल मादावत	सहा. प्राध्या. वाणिज्य
6.	डॉ. अनिल सिंह	सहा. प्राध्या. अंग्रेजी
7.	प्रो. अनुराग सिंह राव	सहा. प्राध्या. समाज शास्त्र
8.	प्रो. मोहन सिंह डावर	सहा. प्राध्या. वाणिज्य
9.	प्रो.मनीष महंत	सहा. प्राध्या. राजनीति शास्त्र
10.	अतिथि विद्वान कार्यरत	सहा. प्राध्या. रसायन शास्त्र
11.	अतिथि विद्वान कार्यरत	सहा. प्राध्या. भौतिक शास्त्र
12.	अतिथि विद्वान कार्यरत	सहा. प्राध्या. वनस्पति शास्त्र
13.	अतिथि विद्वान कार्यरत	सहा. प्राध्या. प्राणी शास्त्र
14.	अतिथि विद्वान कार्यरत	सहा. प्राध्या. गणित
15.	अतिथि ग्रंथपाल कार्यरत	ग्रंथपाल
16.	श्री आर.एस. दण्डोतिया	क्रीड़ा अधिकारी
17.	रिक्त	मुख्यलिपिक
18.	रिक्त	लेखापाल
19.	श्री धीरेन्द्र सिंह	सहायक वर्ग-2
20.	श्री बी.जी. गुप्ता	सहायक वर्ग-3
21.	श्रीमती प्रतिभा शर्मा	सहायक वर्ग-3
22.	श्री विनोद कुमार चौधरी	भृत्य
23.	श्री भंवरलाल सालवी	भृत्य
24.	श्री नानालाल वसूनिया	चौकीदार

(2)(4)

शासकीय महाविद्यालय

राऊ, जिला-इन्दौर (म.प्र.)

उद्देश्य

- विद्यार्थियों को कम शुल्क पर शिक्षण देना एवं "ज्ञानपूर्ण और कल्याणकारी समाज" के सतत् उन्नयन के लिए योग्य बनाना।
- समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने हेतु युवा पीढ़ी को गुणात्मक शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
- व्यावसायिक एवं उद्यमी समाज के परिदृश्य के अनुरूप आवश्यक सभी क्षेत्रों में युवा पीढ़ी के कौशल को तराशना, दक्षताएँ प्रदान करना।
- युवा पीढ़ी में आत्म-विश्वास का संचार, व्यक्तित्व विकास, अनुसंधानात्मक प्रवृत्तियों, समानता की भावना तथा राष्ट्र प्रेम की भावना प्रस्फुटित करने हेतु वातावरण प्रदान करना।
- महाविद्यालय के सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्यक्रमों की दिशा, विद्यार्थियों को समाज के नव-निर्माण, समानता के अधिकार एवं गरिमामय व्यक्तित्व की सीख देने की ओर केन्द्रित होगी ताकि समुचित शिक्षा के आलोक से विद्यार्थी एक सुसंस्कृत, उत्तरदायी, संवेदनशील व्यक्ति तथा देश के श्रेष्ठ नागरिक बन सकें।
- व्यावसायिक तथा रोजगार मूलक मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए रोजगार अवसर ढूँढना / जानकारी देना / प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नि:शुल्क मार्गदर्शन देना।